छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 130/2007</u>

1. श्री एस0के0 प्रसाद, – अपीलार्थी
   सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी,
   रामानुजगंज, जिला–रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. श्री मुरली श्याम राही, पत्रकार – प्रति अपीलार्थी
   माया प्रेस के बगल में,
   रामानुजगंज, जिला–रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

2. श्री जी0आर0 चुरेन्द्र,
   अपर कलेक्टर, रामानुजगंज,
   जिला–रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

3. वन मण्डलाधिकारी, पूर्वी सरगुजा,
   वन मण्डल, अंबिकापुर (छत्तीसगढ़)

4. वन परिक्षेत्राधिकारी
   रामानुजगंज, जिला–रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 16 मार्च, 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री एस0के0 प्रसाद, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, रामानुजगंज ने अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री जी0आर0 चुरेन्द्र, अपर कलेक्टर द्वारा उनके यहॉ लंबित प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 29.9.2006 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन पर राशि 25000/– (पच्चीस हजार) रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया था ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन कर, उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत तर्को का श्रवण किया गया । प्रकरण में अपर कलेक्टर, रामानुजगंज द्वारा लगभग 20 पृष्ठों का एक विस्तृत आदेश पारित किया गया है, किन्तु आदेश के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि

उनके द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार क्षेत्र से संबंधित मूल बिन्दुओं की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया है । सर्वप्रथम तो इस प्रकरण में अपर कलेक्टर का क्षेत्राधिकार ही नहीं था, क्योंकि सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी जो जन सूचना अधिकारी है उनके विरूद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार अपर कलेक्टर को नही है, बल्कि उनके ही विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी को जिसे लोक प्राधिकारी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी नामांकित किया जाता है, केवल वही अपील सुन सकता है । इस प्रकरण में अपर कलेक्टर द्वारा अधिनियिम की धारा-20(1) के अन्तर्गत राशि 25000/- रूपये शास्ति आरोपित की है तथा धारा-20(2) के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए भी अनुशंसा की गई है । वह दोनो ही आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित किया गया है, क्योंकि अधिनियम में इन दोनो धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही का अधिकार केवल सूचना आयोग को दिया गया है । प्रथम अपीलीय अधिकारी को यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया है । इस संबंध में श्री चुरेन्द्र, अपर कलेक्टर द्वारा सुनवाई के दौरान यह बताया गया कि यह प्रकरण उनके कार्यभार ग्रहण करने के पहले ही चल रहा था और कारण बताओ सूचना पत्र जारी हो गया था केवल उनके द्वारा सुनवाई कर आदेश पारित किया गया है, किन्तु यह संतोषजनक उत्तर नहीं है । इस संबंध में त्रुटिपूर्ण आदेश के लिए उत्तरदायी वहीं अधिकारी होता है, जिनके द्वारा आदेश पारित किया गया है । अत: उपरोक्त स्थिति में अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 29.09.2006 किसी भी प्रकार से वैधानिक नहीं है और उसे निरस्त किया जाता है । यह प्रकरण मुख्य सचिव के ध्यान में भी लाया जावे कि अधिकारीगण बिना अध्ययन किये किस प्रकार अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित कर रहे हैं । इस संबंध में उनके द्वारा उचित कार्यवाही की जावे और अधिकारियों को भविष्य के लिए आवश्यक निर्देश भी दिया जावे साथ ही यदि प्रशिक्षण में कोई कमी हो तो प्रशिक्षण भी दिलवाया जावे ।

3/ जहॉं तक सूचना के लिए आवेदन देने वाले आवेदक श्री मुरली श्याम राही को जानकारी मिलने का प्रश्न है, उनके द्वारा यह बताया गया है कि पूर्व में जो फीस की सूचना दी गई है उसका गणना पत्रक नहीं बताया गया है और उन्हे अब नि:शुल्क जानकारी मिल गई है, केवल अपूर्ण कार्यो की जानकारी नहीं दी गई है, जो उन्हें अब दिलवाई जावे । जो जानकारी मॉंगी गई थी, उसमें पूर्ण एवं अपूर्ण के आवंटन में भेद नहीं किया गया था । उन्हें प्लान स्टीमेट और अपूर्ण कार्यो की जानकारी दी जा सकती थी । अत: यह निर्देश दिये जाते हैं कि शेष रही अपूर्ण कार्यो की जानकारी आवेदनकर्ता को नि:शुल्क प्रदान की जावे ।

4/ उपरोक्त निर्देशों के साथ यह स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त